राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांकः एफ.17(ए)/बजट/नियम/2015–16/3620 जयपुर, दिनांकः–14-10-2015

–:: आदेश ::–

राजस्थान राजपत्र मे जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये हैं।

संयुक्त सचिव, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग) विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ. 4(2)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2013 जयपुर, दिनांकः 30.01.2014 परिपत्र संख्या 01/2014 के अनुसार, ''उपापन संस्थाओं द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर बोली आंमत्रित करने वाला नोटिस (N.I.B.) बिड दस्तावेज संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र के अलावा उपापन से सम्बन्धित अन्य अपेक्षित सूचनाएं अपलोड नहीं की जाती हैं, जबकि राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 4 के प्रावधानानुसार प्रत्येक उपापन संस्था को राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर उपापन से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना अपलोड कर प्रकाशित करना अनिवार्य हैं।

अधिनियम की धारा 17 (3) के अनुसार यथा अपेक्षित उपापन से सम्बन्धित सूचनायें, यथा बोली आमंत्रण नोटिस, पूर्व–अहर्ता दस्तावेज, बोली लगाने वालो के रजिस्ट्रीकरण, बोली दस्तावेज, तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, बोली लगाने वालों की सूची, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची, सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा, बोली की स्वीकृति/अवार्ड/निरस्तिकरण, बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, कि विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्यवाही का कारण, अपील एवं उपापन कार्यवाही को रोकने से सम्बन्धित सूचना, आदि राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर अपलोड करना अनिवार्य हैं।''

अधोहस्ताक्षरकर्त्ता की जानकारी में आया हैं कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की पालना नहीं की जा रही हैं।

अतः विभाग की समस्त उपापन संस्था को निर्देशित किया जाता हैं कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये परिपत्र/आदेशों की पालना शत–प्रतिशत सुनिश्चित करावें। यदि उक्त अधिनियम/नियमों की पालना नहीं की जावेगी तो सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें और उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

14.X.15

(अजिताभ शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ.17(ए)/बजट/नियम/2015–16/3621-27 जयपुर, दिनांकः–14-10-2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन/जल संसाधन सम्भाग, कोटा/सांचौर/(उत्तर) हनुमानगढ़,/गुण नियंत्रण एवं सर्तकता विभाग/ एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त ....
6. अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड ....
7. श्री संजय सेठी, नोडल अधिकारी एवं उपनिदेशक (आई.टी.), सिंचाई भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

(विमल कुमार गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार